

विशेष शाखा, झारखण्ड, राँची ।

अल्पकालीन पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि विशेष शाखा, झारखण्ड, राँची में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए X-Ray Baggage Inspection System (Small Size), Kritiscan TM Modle-6040 - 04 अदद (03 के०भी०ए० यू०पी०एस० एवं कम्प्यूटर 04 सेट सहित) का वार्षिक सम्पोषण (AMC) के लिए निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदादाता दिनांक - 8-12-21 के संध्या 06.00 बजे तक निश्चित रूप से निविदा अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में समर्पित करेंगे। अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में समिति के सदस्यों एवं निविदादाता के समक्ष दिनांक - 9-12-21 के अपराह्न 12:00 बजे निविदा खोलने का समय निर्धारित किया जाता है। समिति के सदस्य एवं निविदादाता निविदा खोलने की निर्धारित तिथि व समय पर उपस्थित रहेंगे।

निविदा में भाग लेने की शर्तें निम्नवत हैं:-

1. उक्त मदों में वैसे स्थानीय उत्पादनकर्ता/अधिकृत विक्रेता/आपूर्तिकर्ता निविदा दे सकते हैं, जो जी०एस०टी० से निबंधित हो ।
2. फर्म का अपना जी०एस०टी० तथा पैन नम्बर की कॉपी तकनीकी वीड के रूप में जमा कराया जाना होगा।
3. X-Ray Baggage Inspection System (यू०पी०एस० सहित) की मरम्मत तय समय सीमा के अंदर करना अनिवार्य होगा ।
4. निविदादाता द्वारा समर्पित वार्षिक सम्पोषण (AMC) का दर बाजार दर के अनुरूप होनी चाहिए ।
5. यदि मरम्मत में किसी प्रकार की विलम्ब होती है तो संबंधित निविदादाता को निर्गत क्रयादेश को रद्द कर दिया जाएगा एवं संबंधित फर्म के द्वारा समर्पित Security money को जब्त कर लिया जाएगा। क्रयादेश रद्द होने के पश्चात् कार्य की महत्ता के मद्देनजर L-2 फर्म L-1 फर्म के दर पर कार्य करने को तैयार होंगे तो उन्हें क्रयादेश नियमानुसार दिया जाएगा।
6. निविदा में भाग लेने वाले निविदादाता को पुलिस अधीक्षक (स्थापना), विशेष शाखा, झारखण्ड, राँची के नाम से अग्रधन राशि 50,000/- (पचास हजार रुपये) मात्र का बैंक ड्राफ्ट देना होगा।
7. सफल निविदादाता को क्रयादेश प्राप्त किये जाने के पूर्व विशेष शाखा में एकरारनामा में हस्ताक्षर किया जाना होगा एवं कुल क्रयादेश की राशि का 2 % Security money के रूप में जमा कराया जाना होगा।
8. निविदादाता के द्वारा तकनीकी वीड एवं वित्तीय वीड दोनों अलग-अलग लिफाफे में डालकर एक बड़े लिफाफे में मुहरबंद करके जमा किया जाना होगा।
9. निविदा को अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्वीकृत / अस्वीकृत करने का अधिकार पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेगा तथा झारखण्ड सरकार के द्वारा कोई भी वार्षिक सम्पोषण (AMC) के अनुदेश प्राप्त होने पर उनके अनुसार ही कार्रवाई की जायेगी ।

22.11.21
पुलिस उप-महानिरीक्षक,
विशेष शाखा, झारखण्ड, राँची।

प्रतिलिपि:- प्रभारी डाटा सेंटर को झारखण्ड, पुलिस के वेबसाइट पर प्रकाशित किये जाने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।

22.11.21
पुलिस उप-महानिरीक्षक,
विशेष शाखा झारखण्ड राँची।